



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्र./नि.वि.-1/स-2/डी-1707

दिनांक 04.11.2020

परिपत्र

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संभाग में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में संभागीय लेखा अधिकारी द्वारा अलग-अलग देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय को शिकायत किया जाता है। इस सम्बन्ध में लेख है कि संभागीय लेखा अधिकारी स्वयं एक स्थानीय जांच अधिकारी के रूप में कार्यालय प्रधान महालेखाकार का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, जब भी भुगतान पारित करते समय वित्तीय अनियमितता उसके ध्यान में आती है तो उसे संभागीय लेखा अधिकारी की आपत्ति पुस्तिका (फॉर्म-60) में अपनी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है।

अतः, सभी संभागीय लेखापाल / संभागीय लेखा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संभाग में फॉर्म-60 का संघारण किया जाना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

समस्त संभागीय लेखापाल/संभागीय लेखा अधिकारी -1/2
वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी